

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 309/2020 "शहीद स्मारक जड़ सैक्टर बिंदुखत्ता में शहीद स्मारक से लगी हुई 01 बीघा वन भूमि में प्रशिक्षण एवं आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र का निर्माण" के सम्बन्ध में।

प्रपत्र- 2.2

भाग- III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ।
16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या अनुसार संस्तुति की जाती है।

तिथि 01 - 04 - 2022

स्थान हल्द्वानी।


(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी